पंचायत हरी बैहना, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हरी बैहना, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती प्रवीण कुमारी	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्री दुनी चन्द	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती शकुन्तला देवी	1.4.2014 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत हरी बैहना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–
2	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	0.22
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	14.66
4	8	क्रय सामग्री की भण्डार प्रविष्टियाँ न करना	1.22

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत हरी बैहना, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 7.8.2017 से 17.8.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014–15	09/14	12/14
2015–16	03/16	11/15
2016–17	03/17	01/17

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत हरी बैहना, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 17.8.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत हरी बैहना से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 171258 दिनांक 28.8.17 उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत हरी बैहना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत हरी बैहना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	81210.90	34554	115764.90	14375	101389.90
2015–16	101389.90	48286	149675.90	14851	134824.90
2016–17	134824.90	49671	184495.90	8440	176055.90

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत हरी बैहना के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	473469.10	591616	1065085.10	607681	457404.10
2015–16	457404.10	860382	1317786.10	387830	929956.10
2016–17	929956.10	1345775.64	2275731.74	809360	1466371.74

स्वः स्त्रोतः–

दिनांक 31.3.17 को रोकड बही का अन्तशेष		176055.90	
अनुदानः–			
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष		1466371.74	
कुल योग		1642427.64	
दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंक खातों का अन्तशेष			
(i)	खाता संख्या 32310108811 (HPSCB-S/Ghat)	180335	
(ii)	खाता संख्या 32310115938 (HPSCB-S/Ghat)	1462092.64	संलग्न परिशिष्ट II
	कुल योग	**1642427.64**	
	हस्तगत राशि	**शून्य**	

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत हरी बैहना की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तुरन्त प्रभाव से पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व की ₹0.22 लाख वसूली हेतु शेषः–

ग्राम पंचायत की स्वःस्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट III** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत राजस्व/गृहकर ₹21840 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्रातिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की ₹14.66 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹1466372 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 ग्राम पंचायत की आय को पंचायत निधि में जमा न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में पंचायत को प्राप्त आय की प्रविष्टि न तो रोकड़ बही में की गई और न ही इस राशि को पंचायत निधि में जमा करवाया गया। अतः इस ₹202 को सम्बन्धित कर्मचारी/व्यक्ति से अतिशीघ्र वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	रसीद सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	105279 दिनांक 7.1.15	गृहकर तथा राशन कार्ड शुल्क	30
2	105 280 दिनांक 7.01.15	–यथोपरि–	30
3	105281 दिनांक 20.4.15	अवधि 4/07 से 3/09 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–2 (ट) के अन्तर्गत की गई वसूली	42
4	105965 दिनांक 9.7.16	गृहकर तथा राशन कार्ड शुल्क	50
5	105966 दिनांक 9.7.16	–यथोपरि–	50
		कुल योग	**202**

8 ₹1.22 लाख की क्रय निर्माण/लेखन सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः–

चयनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में पंचायत द्वारा ₹122109 की खरीदी गई विभिन्न सामग्री की प्रविष्टि तत्सम्बन्धित भण्डार रजिस्टरों में नहीं की गई, जोकि पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे कराधान संकर्म व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 के विपरीत होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि, भण्डार रजिस्टरों में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	वा0सं0 / माह	विवरण	बिल संख्या	राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	31 माह 12/14 (सामान्य)	सैनिटेशन सामग्री	3823 दिनांक 6.12.14	37406	स्टॉक प्रविष्टि न करना
2	32 माह 12/14 (सामान्य)	निर्माण सामग्री	517 दिनांक 3.12.14	48003	–यथोपरि–
3	33 माह 12/14 (सामान्य)	–यथोपरि–	137 दिनांक शून्य	11200	–यथोपरि–
4	34 माह 12/14 (सामान्य)	सीमेंन्ट	02014080 दिनांक 26.12.14	2190	–यथोपरि–
5	23 से 25 माह 01/2017 (सामान्य)	सीमेंन्ट	1827691 दिनांक 19.12.16	22610	–यथोपरि–
6	27 माह 01/17 (सामान्य)	लेखन सामग्री	569 दिनांक दिनांक 2.1.17	200	–यथोपरि–
7	28 माह 01/17 (सामान्य)	–यथोपरि–	594 दिनांक 3.1.17	500	–यथोपरि–
			कुल योग	**122109**	

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम–37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा

किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

10 मनरेगा के अन्तर्गत किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण न करवानाः–

ग्राम पंचायत के मनरेगा से सम्बन्धित व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों से करवाये गए अधिकतर कार्य निजि भूमि के विकास के रूप में है तथा निजि जमीन पर करवाये गए कार्यों का ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 11060/3/2009–नरेगा दिनांक 1.9.2009 के अनुसार पंचायत द्वारा गठित, सामाजिक अंकेक्षण समिति से सामाजिक अंकेक्षण करवाना अपेक्षित/अनिवार्य था। परन्तु उक्त समिति से ऐसे कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं करवाया गया है, इस बारे स्पष्टीकरण देते हुए भविष्य में निजि भूमि पर मनरेगा के अन्तर्गत करवाये गए सभी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम–73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद पंचायत प्रधान द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवम आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

(i) अनुदान रजिस्टर

(ii) यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर

(iii) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(iv) विभिन्न मांग तथा संग्रह रजिस्टर

(v) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर

(vi) वर्गीकृत सार (Classified Abstract) रजिस्टर

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का, अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया अतः इस विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

14 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत हरी बैहना के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 30/2017–खण्ड–1–539–542 दिनाँक17.01.2018
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत हरी बैहना, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046